142

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा म0प्र0

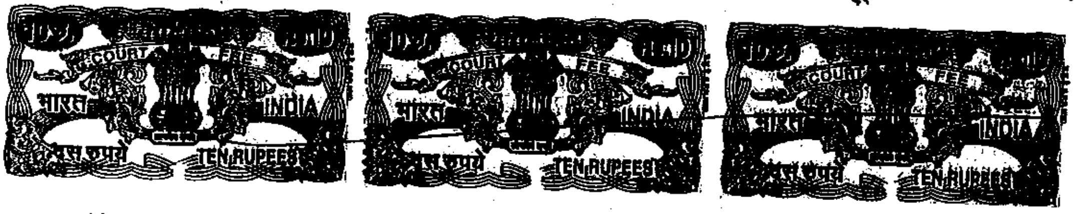

Rs.30/-

R 5270 II/16

कुशसेन गुप्ता तनय श्री इन्द्रपाल गुप्ता निवासी ग्राम व पो0मनगंवा, तहसील मनगंवा, थाना मनगंवा जिला रीवा म0प्र0-------- निगरानीकर्ता

बनाम

1. शासन म0प्र0
2. कमलाकांत तिवारी तनय श्री रामेश्वर प्रसाद तिवारी निवासी ग्राम नदहा, तहसील मनगंवा, जिला रीवा म0प्र0 ---गैर निगरानीकर्ता

श्री अनन्त तिवारी द्वारा आज दिनांक 20.6.16 को प्रस्तुत किया गया। रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

न्यायालय अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा के प्र0क्र0 496/अपील/13-14 मे पारित आदेश दिनांक 11.2.2015 के आदेश के विरुद्ध निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0

मान्यवर,

निगरानी के सूक्ष्म विवरण :-

साकिन नदहा, तहसील मनगंवा जिला रीवा म0प्र0 मे स्थित आराजी नं. 3/1/ज रकबा 0.08 है. का मालिक स्वामी आवेदक है, जिस भू भाग को उसने पंजीकृत विक्रय विलेख से क्रय किया चूंकि मूल आराजी नम्बर 3 का कुल क्षेत्रफल 0.55ए. था जिससे कई उप खण्डो मे आवेदकने जब पूर्व भूमि स्वामी से क्रय किया और पूर्व भूमिस्वामी ने जब उसे क्रय किया था उस वक्त आवेदक के क्रय शुदा आराजी के दक्षिण दिशा की ओर ग्राम की सड़क मूल आराजी नं. 3 से निकली हुयी थी। जिसमे सड़क का भू भाग मूल आराजी नं. 3 का अंश भू भाग 0.08 है. क्रय किया गया लेकिन जब राजस्व निरीक्षक व हल्का पटवारी द्वारा नक्शा तरमीम किया गया तो आवेदक के क्रय शुदा

कुशसेन गुप्ता

...योग्य

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक 5270–दो/16 निगरानी जिला रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15-09-17	यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 496/2013–14 अपील में पारित आदेश दिनांक 11–2–15 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में दिनांक 20–6–16 को प्रस्तुत की गई है। निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदक के अभिभाषक को पूर्व पेशी पर सुना जा चुका है। 2/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को के परिप्रेक्ष्य में उनकी ओर से प्रस्तुत निगरानी मेमो के तथ्यों के पर अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्र0क0 496/2013–14 अपील में पारित आदेश दिनांक 11–2–15 के अवलोकन से परिलक्षित है कि अपर कलेक्टर रीवा के न्यायालय में नक्शा सॅशोधन का प्रकरण कमांक 55 अ–74/2012–13 दायर हुआ था, जो आदेश दिनांक 13–5–2004 से निराकृत हुआ है। 3/ मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 107 के अंतर्गत विचार हेतु मूल न्यायालय कलेक्टर/अपर कलेक्टर है एंव मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 107 के अंतर्गत मूल न्यायालय व्दारा पारित आदेश के विरूद्व संहिता की धारा 44 में प्रथम अपील आयुक्त/अपर आयुक्त को एंव व्दित्तीय अपील राजस्व मण्डल में प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है जबकि आवेदक की ओर से राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत की गई है जो अग्राह्य होने से इसी–स्तर पर अमान्य की जाती है। सदस्य	